


114

द्वारा आया दि. 21/10/16 को प्रस्तुत



न्यायालय मंडल म.प्र. ग्वालियर

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर

निग-3559-PBR-16

निगरानी क्रमांक /2016

231-
7-10-16

श्यामलाल पिता बाबुलाल होलानी
निवासी कौटाफोड जिला देवास म.प्र.

-----प्रार्थी

विरुद्ध

म.प्र. शासन तर्फे पटवारी महोदय
पटवारी हल्का नं.37 खातेगांव.जिला देवास

-----प्रतिप्रार्थी

निगरानी आवेदन पत्र धारा 50 मध्यप्रदेश भू. राजस्व संहिता के तहत

महोदय,

प्रार्थी की ओर से माननीय अधिनस्थ न्यायालय कलेक्टर महोदय देवास जिला देवास के राजस्व प्रकरण क्रमांक 10/पुनर्विलोकन/2015-2016 में पारित प्रोसीडिंग आदेश दिनांक 09.09.2016 से असंतुष्ट एवं दूखी होकर यह निगरानी आवेदन निम्नानुसार पेश कर निवेदन है कि :-

Pravin Pandey
07/10/2016
Pravin Pandey
Adv.

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण -

यह कि माननीय न्यायालय तहसीलदार महोदय खातेगांव के द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 68-अ-68/2014-15 में दिनांक 28.04.2015 को प्रार्थी के विरुद्ध आदेश पारित किया गया जिससे असंतुष्ट एवं दूखी होकर प्रार्थी के द्वारा माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय (राजस्व) खातेगांव जिला देवास के समक्ष राजस्व अपील क्रमांक 29/2014-15 प्रस्तुत कि गई। माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय (राजस्व) खातेगांव जिला देवास म.प्र. के द्वारा प्रकरण में विस्तृत रूप से सुनवाई करने के पश्चात दिनांक 04.08.2016 को आदेश पारित करते हुये प्रार्थी कि अपील स्वीकार कि गई। उक्त आदेश के 30 दिवस पश्चात दिनांक 05.09.2016 को नवीन अनुविभागीय अधिकारी महोदय खातेगांव के द्वारा प्रकरण में पुनर्विलोकन हेतु कलेक्टर महोदय देवास को प्रोसीडिंग आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। माननीय कलेक्टर महोदय देवास के द्वारा प्रार्थी को सूचना पत्र दिये बिना तथा सुनवाई का अवसर दिये बिना दिनांक 09.09.2016 को अनुविभागीय अधिकारी महोदय खातेगांव द्वारा प्रस्तुत पुनर्विलोकन का आवेदन पत्र बिना किसी आधार के स्वीकार कर लिया गया जिससे असंतुष्ट एवं दूखी होकर यह निगरानी आवेदन पत्र प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत है।

निगरानी के आधार-

1- यह कि माननीय अधिनस्थ राजस्व न्यायालय कलेक्टर महोदय देवास के द्वारा प्रार्थी को


3

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3559-पीबीआर/16

जिमा - देवास

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25.10.2018	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री ए.के. पंडित उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 3-1-19 को आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">  प्रशासकीय सदस्य </p>	